छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | दशम् सत्र | अंक-06

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई, 2012

(आषाढ़-28, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 02 तथा 04 से 17 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री बनार्ड जोसेफ रोड्रिक्स, सदस्य अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 43 तारांकित एवं 45 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में संसद सदस्य श्रीमती कमला पाटले एवं श्री मधुसूदन यादव उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की -

(1) धारा 24 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2011/1-सूअप्र, दिनांक 12 मई, 2011,

(2) धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र, दिनांक 4 नवम्बर, 2011, एवं

(3) धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र, दिनांक 31 जनवरी, 2012,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 18 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। उनमें से प्रथम दो ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य ने सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत तेन्दुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक के भुगतान में विलंब किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बिलासपुर के तिफरा फ्लाई ओवर निर्माण में नियम विरूद्ध भूमि अधिग्रहण किये जाने के ओर राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए:-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(3)	श्री देवजी पटेल
(4)	सर्वश्री नंदकुमार पटेल, कुलदीप सिंह जुनेजा
(5)	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा
(6)	श्री दूजराम बौद्ध
(8)	श्री सौरभ सिंह
(9)	श्री नंदकुमार पटेल,
(10)	डॉ.शिवकुमार डहरिया, सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह
(11)	श्री नंदकुमार पटेल,
(12)	श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री भोलाराम साहू
(13)	सर्वश्री नंदकुमार पटेल, मोहम्मद अकबर, सौरभ सिंह
(14)	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा
(15)	श्री रविन्द्र चौबे
(16)	श्री देवजी पटेल
(17)	श्री मोहम्मद अकबर
(18)	श्री सौरभ सिंह

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267- क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री मोहम्मद अकबर

(2) श्री अग्नि चंद्राकर

(3) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

(4) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

(5) श्री शिवराज सिंह उसारे

(6) श्री भजन सिंह निरंकारी

(7) श्री धर्मजीत सिंह

(8) श्रीमती अंबिका मरकाम

(9) श्री गुरुमुख सिंह होरा

(10) श्री नंदकुमार पटेल

(11) श्री सौरभ सिंह

(12) श्री भोलाराम साहू

(13) श्री दीपक कुमार पटेल

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री नारायण चंदेल, सभापति ने रोगदा जलाशय को हस्तांतरित करने और इससे संबद्ध विषयों पर जांच हेतु गठित सदन की समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर पुनर्विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - प्रतिवेदन के नियमों के अंतर्गत ही प्रस्तुत हुआ है। चर्चा हेतु नियमों के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सभापति ने लोक लेखा समिति को अट्ठानबेवां, निन्यानबेवां, सौवां, एक सौ एक वां, एक सौ दो वां, एक सौ तीन वां,एक सौ चार वां, एक सौ पांच वां, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति ने प्रस्ताव किया कि - ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरुकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये,

(2) श्री बद्रीधर दीवान, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति ने प्रस्ताव किया कि-दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों,शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये,

(3) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने प्रस्ताव किया कि - साल बीज संग्रहण में अनियमितता के संबंध में जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये,

(4) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि - सदन द्वारा दैनिक समाचार पत्र पत्रिका रायपुर के समूह संपादक श्री भुवनेश जैन, मुद्रक व प्रकाशक श्री हनुमान प्रसाद तिवाड़ी, राज्य संपादक श्री गिरिराज शर्मा, राज्य ब्यूरो प्रमुख श्री राजेश दुबे, संवाददाता श्री सुरेन्द्र शुक्ला एवं श्री प्रवीण पाठक के विरूद्ध सभा की अवमानना संबंधी विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

(5) श्री दीपक कुमार पटेल, सभापति, ने प्रस्ताव किया कि - माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी द्वारा डॉ.अनिल खाखरिया, निवासी पुराना बस स्टेण्ड, रायपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुये।

8. नियम - 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री संतोष बाफना द्वारा कांकेर से प्रकाशित समाचार पत्र बस्तर बंधु के संपादक श्री सुशील कुमार शर्मा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को विचारोपरांत कक्ष में अग्राह्य कर दी है।

9. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ की तृतीय विधानसभा के दशम् सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह पावस सत्र दिनांक 12 जुलाई को आरंभ हुआ। इस सत्र के कुल 6 कार्य दिवसों में हमने निर्धारित शासकीय एवं अशासकीय कार्यों को पूर्ण किया। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस मानसून सत्र का समापन अत्यंत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है।

यह पावस सत्र एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी स्मरण किया जायेगा। इस सत्र के दौरान आज दिनांक 19 जुलाई, 2012 को देश के प्रथम नागरिक, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति निर्वाचन की भी प्रक्रिया पूर्ण हो रही है।

प्रक्रिया के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं।

इस पावस सत्र में सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र के कुल 6 कार्यदिवसों में 24 घंटे 24 मिनट चर्चा हुई। 6 बैठकों में कुल 51 प्रश्न सभा में पूछे गये जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 8.5 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 422 तारांकित प्रश्न एवं 264 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 686 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 301 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 47 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। इस सत्र में कुल 129 स्थगन की सूचना प्राप्त हुई। शून्यकाल की 57 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 36 सूचनाएं ग्राह्य एवं 21 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। वर्तमान सत्र में 92 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 36 ग्राह्य एवं 39 अग्राह्य रहीं। इस सत्र में 6 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और 6 विधेयकों पर चर्चा हुई तथा 6 विधेयक पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 4 घंटे 26 मिनट चर्चा हुई।

इस सत्र में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वापस किये गए दो विधेयकों पर विचार किया गया। जिसमें से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006) माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव पर वापस किया गया तथा इस विधेयक के स्थान पर संशोधित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) पुर:स्थापित किया गया तथा सभा द्वारा पारित किया गया तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) सभा द्वारा यथा पारित रूप में पुन: पारित किया गया।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर देती है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के 223 जनप्रतिनिधियों एवं 345 छात्र/छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

तृतीय विधानसभा के दशम् सत्र के समापन के अवसर पर मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे अपना अधिकतम सकारात्मक सहयोग दिया।

मैं श्री नारायण चंदेल, उपाध्यक्ष महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे निरंतर सहयोग प्रदान किया।

मैं सभापति तालिका के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे निरंतर सहयोग प्रदान किया।

विधानसभा की कार्यवाही को जनता तक पहुंचाने में हमारे पत्रकार साथी महत्पूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों से प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में संपादित कार्यवाही से अवगत कराया । छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया के प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने गुरूत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निवर्हन किया । इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी । मैं विधान सभा के सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं जिन्होंने अपने दायित्वों का निवर्हन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया । सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परम्परा रही है तद्नुसार आगामी शीतकालीन सत्र दिसम्बर माह के द्वितीय-तृतीय सप्ताह में संभावित है । हम सब संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

जय हिन्द! जय भारत! जय छत्तीसगढ़!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री एवं श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किये।

10. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 1.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा